स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-2/2014-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 26 जून, 2014

सेवा में,

श्री आशिष मंडल,
निपनिया, परघा,
बलियापुर, धनबाद,
झारखंड-828201.

विषयः- **सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।**

कृपया इस अनुभाग में 10.06.14 को प्राप्त अपने दिनांक 12.05.14 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबन्धन कोष से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. आपदा प्रबन्धन कोष से संबधित बिंदु संख्या 1 एवं 2 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रत्येक मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में 1.50 लाख रूपये देने का प्रावधान हैं। इस सन्दर्भ में संबंधित मदों और मापदड़ो की सूची, जो कि 28 नवम्बर, 2013 को जारी किए गई है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट *www.ndmindia.nic.in* पर उपलब्ध है। इस सन्दर्भ में यह भी कहना है कि मौके पर (on ground) राहत का वितरण करने की प्रशासनिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार से संबंधित (मुख्यमंत्री) सूचना के संबंध में आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध कर सूचनाएं प्राप्त कर सकतें है। अतः इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे संबंधित राज्य सरकार के राज्य लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी. सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम-।)
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यावाही हेतु :-

अनुभाग अधिकारी, आई. टी. खंड, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली। [आर.टी.आई संभाग से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.43020/61/2013-आर.टी.आई (भाग-1) दिनांक 20/21 मई, 2014 के सन्दर्भ में]।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु :-

आर.टी.आई प्रकोष्ठ (श्री एस सामंत, अवर सचिव) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या.ए-43020/01/2014-आर टी आई दिनांक 9 जून, 2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 09/06/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ ....आशीष ....मंडल........का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~........आशीष मंडल........के दिनांक: 12/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ....प्रधानमंत्री कार्यालय........से अंतरण द्वारा दिनांक: 23/05/2014 को प्राप्त) को........डी.एम.........प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क प्रधानमंत्री कार्यालय से ~~दिनांक: ..../..../2014 की रसीद सं............के तहत~~ जमा कर दिया है (~~संलग्न~~)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती~~ है।

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

TO(DM)
9/6

उपसचिव (डीएम)
गृह मंत्रालय
एनडीसीसी-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ ....आशीष मंडल-
........निमडीहा, पथ्या
........बलियापुर, धनबाद - 828 201 (झारखंड)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/2640/2014-पीएमआर

दिनांकः 20\05\2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री आशीष मंडल से प्राप्त दिनांक 12.5.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 17.5.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(के. सलिल कुमार)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

(आपदा प्रबन्धन कोष से संबंधित सूचना के संबंध में)

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री आशीष मंडल
निपनिया; परधा
बलियापुर, धनबाद
झारखण्ड - 828 201

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी। राज्य सरकार से संबंधित (मुख्यमंत्री राहत कोष) सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उपबंध है कि किसी भी प्रकार की सूचना चाहने वाला व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। यदि आप चाहे तो सूचना हेतु राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

2640/14 – 19 May 14

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA

O/O THE SR POSTMASTER DHANBAD HO – 826001

2640/14

URGENT

RTI ACT

Diary No. 17445

& Date 17.05.14

Last Date For Disposal 22/05/14

17 MAY 2014

To,

Central Public Information Officer
O/o Prime Minister, South Block
Raisena Hill New Delhi India
110001

No: - H-1/RTI-2005/No 783/2011-12 dtd. at Dhanbad the 13.05.2014

Sub: - Information under RTI Act-2005.

Respected Sir

An application Sri Ashish Mandal Nipniya Pargha Baliapur Dhanbad - 828201 for an IPO No 71C 981373-72 amount 10/- Under RTI Act-2005 is forwarded h/w for kind disposal of the case and information to be furnished to the applicant mentioned above within the stipulated time period as the case pertains to your public information jurisdiction.

Sr. Postmaster,
Dhanbad HPO

Encl: - Application Copy

1. Sri Ashish Mandal Nipniya Pargha Baliapur Dhanbad -828201 Jharkhand.

Sd/-
Sr Postmaster
Dhanbad HO

IPO No. 71C 981372-73 of ₹10/-

394775

CC-1

सेवा मे,

दिनांक- 12.05.14

केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक

रायसीना हिल, नई दिल्ली, भारत, 110001

द्वारा--वरीय डाकपाल, धनबाद सह सहायक जन सूचना पदाधिकारी

बिषय-- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

आवेदक का नाम व पता—आशिष मंडल, निपनिया, परघा, बलियापुर, धनबाद, झारखंड, 828201

US(F)
MHA
State

माँगी गई सूचना का ब्यौरा—

1)अप्राकृतिक मृत्यु जैसे बाढ़, वज्रपात, दुर्घटना, आगलगी इत्यादि की स्थिति मे प्रधानमंत्री राहत कोष, आपदा प्रबन्धन कोष एवं मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत लाभुक को कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

2)प्रधानमंत्री राहत कोष, आपदा प्रबन्धन कोष एवं मुख्यमंत्री राहत कोष लाभुको को उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित दिशा निर्देशो एवं शासनादेशो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएँ।

3)राज्य सरकार एवं राज्य पुलिस से असंतुष्ट होने की स्थिति मे आम जनता को प्रधानमंत्री कार्यालय से किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मै एतद द्वारा घोषित करता हुँ कि मेरे द्वारा माँगी गई सूचना का ब्यौरा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नही है।

मै पाँच रुपये का दो आई पी ओ रशीद संख्या 71C 981373 एवं 71C 981372 के आधार पर आपके कार्यालय मे भुगतान कर रहा हुँ।

आपका विश्वासी

Ashish mandal

12 MAY 2014

आशिष मंडल, निपनिया, परघा, बलियापुर

धनबाद, झारखंड, 828201